न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 77/2020
प्रकरण दर्ज तिथि :— 23.10.2020
जीसीएमएस नम्बर :— 2020/00141

वादी
1.श्रीमती हिरीदेवी पत्नी पदमसिंह के कायम मुकाम
1.1 चौथसिंह पुत्र पदमसिंह
1.2 राजूसिंह पुत्र पदमसिंह
1.3 नारायणसिंह पुत्र पदमसिंह
1.3.1 नेनुदेवी पत्नि नारायणसिंह
1.3.2 गोपालसिंह पुत्र नारायणसिंह
1.3.3 महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह
1.3.4 सुरेशसिंह पुत्र नारायणसिंह
1.3.5 धर्मसिंह पुत्र नारायणसिंह
2.श्रीमती नेनीदेवी पत्नी नारायणसिंह उम्र 51 वर्ष जाति रावत
निवासी बलुपुरा तह. रायपुर

बनाम

प्रतिवादी
1.मोहनसिंह पुत्र जालिमसिंह उम्र 60 वर्ष जाति रावत
2.पानी पत्नी जालिमसिंह उम्र 80 वर्ष जाति रावत
3.चन्द्रसिंह पुत्र कूपसिंह उम्र 70 वर्ष जाति रावत
4.खूमसिंह पुत्र धनसिंह उम्र वर्ष जाति रावत
5.पूमनसिंह पुत्र धनसिंह उम्र वर्ष जाति रावत
निवासी बलुपुरा तह. रायपुर
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय रायपुर

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता वादी उपस्थित
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 16.04.2025

वादी की ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सैन द्वारा दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बलुपुरा तह. रायपुर पाली मे निम्न वर्णित कृषि भूमि खसरा न. 602 रकबा 15 बीघा बारानी दोयम आयी हुई है। जिसकी जमाबंदी वाद के साथ पेश है। जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। उक्त आराजी को आगे वाद मे वादग्रस्त आराजी से संबधित किया जावेगा। वादग्रस्त आराजी खसरा न. 602 मे मोहनसिंह पानीदेवी चन्द्रसिंह धनसिंह का 1/4 वा हिस्सा चला आ रहा था जो हिस्सा उक्त चारो ने दिनांक 27.03.2006 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात् 3.75 बिघा भूमि को सहप्रतिफल वादीगण को पंजीयन बेचान हस्तांन्तरण कर दी थी ओर मौके पर कब्जा सुपुर्द का दिया था तब से वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के 1/4 वा हिस्सा के खातेदार काश्तकार चले आ रहे है ओर शन्ति पूर्वक सभी की जानकारी मे उपयोग उपयोग काश्त मुतालिक कार्य करते आ रहे है। बेंचान पंजीयन दिनांक 27.03.2006 की प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का आवश्यक भाग समझां जावे। उक्त रजिस्टर्ड बेचानामा दिनांक 27.03.2006 कर बेचान वादीगण के हक मे होने के कारण से

गुलाब सिंह

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

विकेता मोहनसिंह पानीदेवी चन्द्रसिंह धनसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण स. 4 से लगायत 5 का वादग्रस्त भूमियो मे कोई हक स्वत्व खातेदारी आधिपत्य नही रहा इसलिए धनसिंह का धनसिंह की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण स. 4 से लगायत 5 का वादग्रस्त भूमियो मे कोई हक स्वत्व खातेदारी आधिपत्य नही रहा जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 5 को शुरू से ही थी वादीगण पा प्रतिवादीगण 01 से लगायत 5 एक ही गांव के है। वादीगण ने उक्त रजिस्ट्री की कॉपी हल्का पटवारी को दे दी थी उसने सोचा की वादीगण के नाम से दाखिल खारिज खोल दिया होगा लेकिन वादीगण वृद्व व पर्दासीन औरते व अनपढ व ग्रामीण नागरिक होने से उसे उक्त वादग्रस्त भूमियो का अपना नाम दाखिल खारिज नही खोल पाया। लेकिन रजिस्ट्री होने पर एक कॉपी लैण्ड होल्डर तहसीलदार के लिए भी पेश की जाती है उनकी भी डयूटी होती है कि इस प्रकार के हुए पंजीयन बेचान का म्यूटेशन भरवाने हेतु हल्का पटवारी को पांबद करे उसे रजिस्ट्री की कॉपी प्रेषित करे। लेकिन नही कर भारी भूल की है। उक्त वाद मे विवादग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण के हिस्से को लेकर विवाद है इसलिए प्रतिवादीगण को ही पक्षकार बनाया है अन्य सहकाश्तकार से कीसी प्रकार का कोई विवाद नही होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमियो के बेचान के बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या 4 से 5 की नियत खराब हो गई और मिली भगत कर धनसिंह के फौत होने के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 4 से 5 ने अपने नाम फौतेदगी दाखिल खारिज खोलने का अधिकार नही होते हुए भी गलत तथ्य बताते हुए प्रतिवादीगण स. 4 से लगायत 5 ने वादग्रास्त आराजीयत के संम्बध मे अपने नामान्तरण संख्या 133 भरवा दिया जो गलत व गैर कानूनी होने से सर्वधा अवैध व प्रभावशून्य एंव अनाधिकृत है। काबिले निरस्त है। नामान्तरण कि प्रति वाद के साथ पेश है जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे । उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण को बेचान के बावजूद प्रतिवादी संख्या 4 नियत खराब हो गई और मिली भगत से गलत व अनाधिकृत फौतेदगी नामान्तरण भरवाकर मिली भगत से एस.बी.बी.जे वर्तमान मे एसबीआई रायपुर से ऋण प्राप्त कर लिया है जिसका इन्द्राज जमाबन्दी मे चल रहा है उक्त प्रकार का इन्द्राज भी वादीगण के अधिकारो व हितो के विपरीत होने से काबिले निरस्त है। उक्त ऋण से वादीगण किसी प्रकार से उत्तरदायी नही है जो प्रतिवादीगण ने धोखाधडी से ऋण लिया है उसे वही भुगतान के लिए उत्तरदायी है। इसलिए वादीगण के हिस्से मे दर्ज रहननामा काबिले निरस्त है। वादीगण को वर्तमान मे अपनी भूमि को उपजाउ बनाने के लिए लोन की आवश्कता हुई तो जमाबन्दी हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर जानकारी हूई कि वादीगण का नाम तो जमाबंदी मे दर्ज ही नही है ओर प्रपिवादीगण के नाम दर्ज है ओर धनसिंह का फौतेदगी नामान्तरण भरा हुआ है तब दिनांक 10.08.20 को धनसिंह का फौतेदगी नामान्तरण की नकल व जमाबन्दी की नकल प्राप्त होने पर तब उसे बडा आश्चर्य हुआ ओर दुख हुआ तब उसने प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से मांग की उक्त प्रकार के फौतेदगी नामान्तरण को निरस्त करवावे ओर वादीगण के नाम जरिए पंजीयन बेचान के नामान्तरण खुलवा कर जमाबंदी मे नाम अमल दरामद करावे तो दिनांक 21.09.2020 को इन्कार हो गये। इसलिए वादी को इस वाद की आवश्यकता हुई। उपरोक्त परिस्थितियो मे वादीगण के हक मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है अन्यथा प्रतिवदीगण वादीगण को वादग्रस्त भूमियो मे जबरन बेदखल कर देंगे ओर वादग्रास्त आराजी को अन्य दिगर लोगो को बेचान हस्तांतरण कर देंगे व वादग्रस्त आराजी को ऋणग्रस्त भारग्रस्त कर देंगे जिससे वादीगण को पैसो मे न आंके जाने वाली असहनीय व अपूर्णीय क्षति होगी ओर वादीगण के साथ भंयकर अन्याय होगा तथा मल्टिप्रोसिडिंग बढेगी। इसलिए वादीगण के पास अपने अधिकारो की रक्षा हेतू अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से उक्त वाद स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक निषेधाज्ञा व घोषणा का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश है। उपरोक्त मुकदमे मे डिक्लेरेशन की दृष्टि से प्रतिवादी तहसीलदार महोदय लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया गया है। उक्त वाद मे प्रतिवादी श्रीमना तहसीलदार जी को बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोंटिस दिए पक्षकार बनाया गया है। क्योकि उक्त वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है और वाद के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अर्जेन्ट रिलिफ लिया जाना आवश्यक हो गया है क्याकि प्रतिवादीगण 01 से लगायत 5 कानून को हाथ मे लेकर गलत व गैर कानूनी कार्यवाही करने के लिए आमादा है। तथा वादग्रस्त भूमियो को खुर्द बुर्द करने व दीगज लोगो को बेचान व कब्जा कराने के लिए आमादा है उस सुरत मे 2 माह का नोटिस देकर उक्त वाद प्रस्तुत करने से उक्त वाद का मकसद ही विफल हरे जावेगा इसलिए बिना नोटिस दिए दावा करने की इजाजत का प्रार्थना पत्र इस वाद के साथ संलग्न किया जा रहा है और इजाजत ली जा रही है। वादी के हक मे तथा प्रतिवादीगण 01 से लगायत 5

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (व्यावर)

के विरूद्व घोषणात्मक डिक्रि पारित कि जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजाल सरहद मौजा बलुपुरा तह. रायपुर पाली मे निम्न वर्णित कृषि भूमि खसरा न. 602 रकबा 15 बीघा बारानी दोयम का 1/4 हिस्से का खातेदार कशतकार घोषित किया जावे एंव बेचान पंजीयन के आधार पा वादीगण के नाम नामान्तरण खोला जाकर जमाबंदी मे वादी का उपरोक्त हक हिस्रो अनुसार खातेदार काश्तकार नाम अमल दरामद करावे तथा प्रतिवादी संख्या 4 से लगायत 5 के नाम वाद ग्रस्त आराजी के सम्बंध मे जो नामान्तरण खोला गया है उक्त वादग्रस्त आराजी के वादीगण के हक हिस्रो के उक्त नामान्तरण को निरस्त फरमावे। धन्नेसिंह की फौतेदगी म्यूटेशन को वादी के उपरोक्त खरीदशुदा भूमि के हिस्रो कर सीमा तक अवैध प्रभावशून्य व निरस्त घोषित किया जावे। वादीगण के हक मे तथा प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण 01 से लगायत 5 स्वंय तथा जरिये उनके नौकर चाकर दोस्त हाली ऐजेन्ट परिवारजन रिश्तेदार मुखतियार आदि वादग्रस्त आरजी के हिस्रो मे बेदखल नही करे तथा उसाके कब्जे काश्त व काश्त मुलालिक समस्त कार्य व उपभोग से वचिंत नही करे और न ही करावे। प्रतिवादीगण के नाम जमाबन्दी मे दर्ज होने के कारण से वादग्रस्त आराजी को अन्य दिगज व्यक्ति का बेचान हस्तानान्तरण नही करे। और अमलदरामद संबंधी कार्यवाही नही करे न करावे । दौराने वाद अगर वादीगण को कब्जा काश्त से बेदखल किया जाता है तो कब्जा वापस दिलाया जावे। दौराने वाद किसी प्रकार से अन्य बेचान हस्तान्नातरण या ऋणग्रस्त भारग्रस्त या नामान्तरण खोला जाता है तो उन्हे निरस्त फरमावे व आज्ञापक आदेशात्मक आदेश प्रदान करावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुए हैं जो संलग्न पत्रावली किये गयें। प्रतिवादी संख्या 01, से 05 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई हैं। वादी अधिवक्ता उक्त वादपत्र पर साक्ष्य हेतु शपथ पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादीगण के बयान लिये जाकर कलमबद्ध किये गये। पत्रावली संलग्न किये गये।

वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि सरहद मौजा बलुपुरा पटवार हल्का दीपावास भू अभिलेख निरीक्षक के खसरा नम्बर 602 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीगण को 1/4 हिस्से में रजिस्टर्ड पंजीयन दिनांक 27.03.2006 को किया गया हैं।लेकिन नामान्तरण नही खुलने से प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी में इन्द्राज हो गया हैं। जबकि वादीगण ने उक्त भूमि का रजिस्टर्ड पंजीयन करवाया हैं तथा वादीगण का ही कब्जा काश्त हैं। इसीलिए रजिस्टर्ड पंजीयन के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 द्वारा दर्ज फौतेदगी नामान्तरण को वादी के हक हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित किया जावें।

उभयपक्ष बहस समायत की गई।

उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा बलुपुरा पटवार हल्का दीपावास भू अभिलेख निरीक्षक के खसरा नम्बर 602 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के पक्ष में दर्ज फौतेदगी नामान्तरण को वादी के हक हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित किया जाना न्यायोचित समझतें हैं।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया सरहद मौजा बलुपुरा पटवार हल्का दीपावास भू अभिलेख निरीक्षक के खसरा नम्बर 602 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के पक्ष में दर्ज फौतेदगी नामान्तरण को वादी के हक हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर के साथ प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

वादी
1.श्रीमती हिरीदेवी पत्नी पदमसिंह के कायम मुकाम
1.4 चौथसिंह पुत्र पदमसिंह
1.5 राजूसिंह पुत्र पदमसिंह
1.6 नारायणसिंह पुत्र पदमसिंह
1.3.1 नेनुदेवी पत्नि नारायणसिंह
1.3.2 गोपालसिंह पुत्र नारायणसिंह
1.3.3 महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह
1.3.4 सुरेशसिंह पुत्र नारायणसिंह
1.3.5 धर्मसिंह पुत्र नारायणसिंह
2.श्रीमती नेनीदेवी पत्नी नारायणसिंह उम्र 51 वर्ष जाति रावत
निवासी बलुपुरा तह. रायपुर

बनाम

प्रतिवादी
1.मोहनसिंह पुत्र जालिमसिंह उम्र 60 वर्ष जाति रावत
2.पानी पत्नी जालिमसिंह उम्र 80 वर्ष जाति रावत
3.चन्द्रसिंह पुत्र कूपसिंह उम्र 70 वर्ष जाति रावत
4.खूमसिंह पुत्र धनसिंह उम्र वर्ष जाति रावत
5.पूमनसिंह पुत्र धनसिंह उम्र वर्ष जाति रावत
निवासी बलुपुरा तह. रायपुर
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय रायपुर

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बलुपुरा पटवार हल्का दीपावास भू अभिलेख निरीक्षक के खसरा नम्बर 602 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के पक्ष में दर्ज फौतेदगी नामान्तरण को वादी के हक हिस्से तक प्रभावशून्य घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर के साथ प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....×...

.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.04.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	2	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान			
मीजान		12	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।